यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, पौडी** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, पौडी के माह 04/2019 से 03/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री एस. एस. दरियाल, श्री अजय कुमार मिश्रा सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 21.01.2021 से 01.02.2021 तक श्री आर. एस. नेगी-II वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पुर्णकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **(1) परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री अरविन्द कुमार उपाध्याय, एवं श्री अजय कुमार मिश्रा सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों एवं श्री विजय कुमार मोर्य, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 23.01.2020 से 31.01.2020 तक श्री एस. के. पाण्डेय वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 04/2018 से 03/2019 तक एवं व्यय हेतु माह 04/2018 से 03/2019 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा मे राजस्व हेतु माह 04/2019 से 03/2020 तक एवं व्यय हेतु माह 04/2019 से 03/2020 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी है।

2. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** - जिला पौडी

   (ii) (अ) **राजस्व विवरण**

विगत तीन वर्षो मे कार्यालय (आबकारी विभाग) द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है (ब्याज,अर्थदण्ड एवं अन्य प्राप्तियां)

(₹ लाख में)

वर्ष	अर्जित राजस्व
2017-18	9002.98
2018-19	12649.27
2019-20	8969.27

(ii)(ब) बजट का विवरण:-विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+) `	बचत (-) `
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `		
2017-18	-	-	-	-	132.26	131.34	-	0.92
2018-19	-	-	-	-	157.30	155.35	-	1.95
2019-20	-	-	-	-	12.70	6.93	-	0.19

(I) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
शून्य					

(iii)इकाई को बजट आवंटन मुख्यालय द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई 'A' श्रेणी की है।

(iv)विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

आबकारी सचिव-आबकारी आयुक्त- अपर आबकारी आयुक्त- संयुक्त आबकारी आयुक्त- उप आबकारी आयुक्त-सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी - आबकारी निरीक्षक- लिपिक

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, पौडी** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, पौडी** लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) **विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-**

राजस्व: माह 07/2019 को विस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित किया गया।

व्यय: माह 12/2019 को विस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित किया गया।

(vii) योजना का चयन :- लागू नहीं ।

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

राजस्व की लेखा-परीक्षा

भाग-II (अ)

प्रस्तर- 01: विदेशी दुकानों के व्यवस्थापन न होने पर इन दुकानों के दैनिक आधार पर संचालन न किये जाने से राजस्व हानि।

भाग-II (ब)

प्रस्तर- 01: नियमों के विपरीत मदिरा दुकानों के संचालन के परिणामस्वरूप ₹ 03.14 करोड़ जब्त नहीं किया जाना।

प्रस्तर- 02 : अवशेष वसूली न किया जाना ₹ 342.34 लाख ।

प्रस्तर- 03 : अनुज्ञापियों की गतिविधियों पर नियंत्रण व्यवस्था न किया जाना।

STAN

व्यय की लेखापरीक्षा

भाग-II (अ)

शून्य

भाग-II (ब)

शून्य

भाग दो 'अ'

प्रस्तर- 01: विदेशी दुकानों के व्यवस्थापन न होने पर इन दुकानों के दैनिक आधार पर संचालन न किये जाने से राजस्व हानि |

उत्तराखंड शासन के आबकारी अनुभाग के "उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली 2019" की अधिसूचना संख्या॰ 126/XXIII/2019/04(04)/ 2018 देहरादून दिनांक 07॰02॰2019 के नियम 1॰1 में प्रावधान किया गया है कि वर्ष 2019-20 के लिये जिला आबकारी अधिकारी द्वारा दुकानवार राजस्व का निर्धारण कर जिलाधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा उपरोकतानुसार मदिरा की दुकानों के निर्धारित राजस्व में ही जनपद में नई दुकानों का सृजन भी किया जा सकता है एवं नियम-4 में प्रावधान किया गया कि वित्तीय वर्ष 2019-20 की किसी अवधि में दुकान व्यवस्थापन की प्रक्रिया में समय लगता है तो व्यवस्थापन की अवधि में दुकान का व्यापक प्रचार प्रसार के पश्चात दैनिक आधार पर संचालन किया जाएगा |

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, पौड़ी के वर्ष 2019-20 की व्यवस्थापन पत्रावली की जांच मे पाया गया कि जिला पौड़ी को ₹ 129 करोड़ का राजस्व प्राप्त करने का लक्ष्य दिया गया। जिसके परिपेक्ष्य में जिले की 43 विदेशी मदिरा की दुकानों में राजस्व निर्धारित किया गया | जिसमें 07 दुकाने (06विदेशी मदिरा, 01बियर) नवीनीकृत की गयी, 06 दुकाने विदेशी मदिरा ई-टेण्डर द्वारा और 15 दुकाने विदेशी मदिरा प्रथम आवक प्रथम पावक तथा 07 दुकाने विदेशी मदिरा लाटरी में व्यवस्थापित हुई थी, कुल 35 दुकानों का व्यवस्थापन हुआ जिनसे ₹ 63.52 करोड़ प्राप्त हुआ, तथा शेष 06 विदेशी मदिरा की दुकानों (विवरण संलग्न-1) का निर्धारित राजस्व ₹ 60,19,17,763/- था जिनका व्यवस्थापन नहीं हो पाया।

लेखापरीक्षा द्वारा दुकानों का व्यवस्थापन न होने के सम्बन्ध मे इगित किये जाने पर इकाई ने अवगत कराया कि वर्ष 2019-20 में मदिरा दुकानो के आवंटन प्रक्रिया चालू थी जिस कारण से दैनिक आधार पर नही चलायी जा सकी। शासन के द्वारा विलम्ब से निर्धारित राजस्व का 35 प्रतिशत राजस्व कम किया गया जिस कारण आवेदक नहीं आये। यदि समय से 35 प्रतिशत राजस्व कम किया जाता तो दुकानों के व्यवस्थापन होने की प्रबल सम्भावना थी |

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योकि आबकारी नीति के नियम-4 मे प्रावधान है कि किसी अवधि में दुकान व्यवस्थापन मे समय लगता है तो दुकान को दैनिक आधार पर संचालन किया जायेगा, परन्तु इकाई द्वारा दैनिक आधार पर संचालन नहीं किया गया, जिससे अप्रैल-19, मई-19, जून-19 एवं जुलाई-19 तक उक्त दुकाने बंद थी। यदि दुकानों का दैनिक आधार पर संचालन किया गया होता तो विभाग को राजस्व प्राप्त होता | जबकि विगत वर्ष 2018-19 में उक्त 06 विदेशी मदिरा (विवरण संलग्न-2) की दुकानों से ही ₹ 4637॰32 लाख का व्यवस्थापन राजस्व प्राप्त हुआ था और

जिला आबकारी अधिकारी पौड़ी के पत्रांक संख्या 412/5-1आबकारी/वि.म.दु-व्यवस्थापन/2019-20/पौड़ी दिनांक 08-07-2019 के द्वारा कार्यालय आयुक्त आबकारी उत्तराखण्ड देहरादून से मदिरा की दुकानों के निर्धारित राजस्व पर व्यवस्थापित न होने पर मांगे गये सुझाव पर अवगत कराया गया ।उक्त के सम्बन्ध में मुख्यालय द्वारा कोई निर्देश नहीं दिये गये | इस प्रकार स्पष्ट है कि 06 विदेशी दुकानों के व्यवस्थापन न होने पर इन दुकानों के दैनिक आधार पर संचालन न किये जाने से राजस्व हानि हुई।

अत: उक्त प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो (ब)

प्रस्तर- 01: नियमों के विपरीत मदिरा दुकानों के संचालन के परिणामस्वरूप ₹ 3.14 करोड़ जब्त नहीं किया जाना।

उत्तराखंड शासन, आबकारी अनुभाग की अधिसूचना संख्या 126/XXIII/2019/04(04)/2018 देहरादून दिनांक 07 फरवरी, 2019 उत्तराखण्ड राज्य में देशी/विदेशी मदिरा एवं बीयर की फुटकर बिक्री को विनियमित करने की दृष्टि से वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए नीति विषयक नियमावली, 2019 बनायी गयी है।

उक्त लिखित नियमावली के नियम 5 के अनुसार, आवेदक द्वारा मदिरा की दुकान के आवंटन पश्चात निर्धारित औपचारिकतायें पूर्ण न करने पर आवंटित मदिरा की दुकान का आवंटन अनुज्ञापी के जोखिम पर नियमावली, 2001 यथा संशोधित के अंतर्गत निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाएगी तथा अनुज्ञापी द्वारा जमा किए गए समस्त राजस्व को राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर दुकान का आवंटन पुनः निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।

नियम 5.5 के अनुसार आवेदक को आवंटित मदिरा की दुकान का निर्धारित अनुज्ञापन शुल्क तत्काल आवंटन के समय जमा करना होगा।

नियम 5.6 के अनुसार प्रथम प्रतिभूति धनराशि नकद 07 दिवस एवं द्वितीय प्रतिभूति नकद अथवा बैंक गारंटी के रूप में व्यवस्थापन के 30 दिवस के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा।

नियम 5.7 के अनुसार द्वितीय प्रतिभूति व्यवस्थापन के 25 दिवस के भीतर जमा न करने की दशा में देशी/विदेशी मदिरा की आपूर्ति रोक दी जाएगी।

उक्त के परिपेक्ष्य में कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, पौड़ी के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि कुल 40 में से 34 बिदेशी मदिरा की दुकानों का व्यवस्थापन किया गया था। 34 व्यवस्थापित विदेशी मदिरा की दुकानों में से मात्र 02 दुकानों के द्वारा लाइसेन्स शुल्क, प्रथम प्रतिभूति एवं द्वितीय प्रतिभूति की धनराशि उल्लिखित नियमानुसार जमा की गयी थी, शेष 33 (32+01 पुन: व्यवस्थापित) दुकानों के सापेक्ष उल्लिखित नियमानुसार निश्चित समयांतर्गत धनराशियाँ जमा नहीं की गयी थी। अर्थात प्रथम प्रतिभूति एवं द्वितीय प्रतिभूति की आंशिक धनराशि जमा करने वाले अनुज्ञाधारियों को अधिभार जमा करने पर मदिरा का उठान दिया गया, जो कि नीति के नियम 5.7 का स्पष्ट उल्लंघन था। उल्लिखित नियमानुसार

राजस्व जमा नहीं करने पर मदिरा दुकानों का निरस्तीकरण किया जाना था। यदि विभाग द्वारा उल्लिखित नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करते हुये उन सभी मदिरा की फुटकर दुकानों का निरस्तीकरण किया जाता तो जमा लाइसेन्स शुल्क, आंशिक जमा प्रथम प्रतिभूति एवं द्वितीय प्रतिभूति की धनराशि ₹3,14,32,705 (6242000+20648072+4542633) जब्त की जाती (विवरण पत्र सलग्न)। अर्थात यथा समय निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाती तो सरकारी खजाने में ₹3.14 करोड़ जब्त कर जमा किया जाता। विभाग के द्वारा नियम विरुद्ध मदिरा दुकानों का संचालन कर दुकान स्वामियों को अदेय लाभ दिया गया।

इसे इंगित करने पर विभाग ने उत्तर में बताया कि "राजस्व हित में समस्त दुकानों का निरस्तीकरण किया जाना संभव नहीं था। यदि दुकानों का निरस्तीकरण किया जाता तो संभवतः दुकान चलाने हेतु कोई आवेदक नहीं मिल पाता। जिन दुकानों द्वारा विलंब से जमा किया गया उन दुकानों पर विलंब शुल्क/ ब्याज की वसूली लिया गया है"। विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि आबकारी नीति 2019-20 में विलंब से जमा प्रथम प्रतिभूति एवं द्वितीय प्रतिभूति समय से जमा नहीं किए जाने की दशा में दुकानों के सापेक्ष जमा धनराशियों को जब्त कर निरस्तीकरण की कार्यवाही किया जाना था। जहां तक विलंब शुल्क/ब्याज लिए जाने का प्रश्न है नीति में इसका कोई उल्लेख नहीं है। अतः नियमानुसार निश्चित समयांतर्गत प्रथम प्रतिभूति एवं द्वितीय प्रतिभूति जमा नहीं करने वाले मदिरा दुकानों का निरस्तीकरण की कार्यवाही नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप ₹ 3.14 करोड़ जब्त नहीं किया जाने का प्रकरण उच्चाधिकारी के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो ब

प्रस्तर- 02 : अवशेष वसूली न किया जाना ₹ 342.34 लाख।

Under Para 39 of The United Provinces Excise Act, 1910- All excise revenue including all amounts due to by any person on account of any contract relating to the excise revenue, may be recovered from the person primarily liable to pay the same, or from his surety (if any), as arrears of land revenue or in the manner provided for the recovery of public demands by any law for the time being in force.

जिला आबकारी अधिकारी, पौड़ी की लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 तक दुकानों के व्यवस्थापन के सापेक्ष आबकारी राजस्व के बकाएदार 06 दुकानों पर ₹ 342.34 लाख की वसूली अवशेष थी।

क्र0स0	**मदिरा दुकान**	**वित्तीय वर्ष**	**अवशेष राजस्व**
1.	चैलुसैण	2017-18	406359=
2.	पौड़ी	2018-19	12848285=
3.	सतपुली	2018-19	8928578=
4.	लैन्सडाउन	2018-19	2739692=
5.	किमसार डाडामण्डल	2018-19	8542110=
6.	सतपुली	2019-20	768900=
	कुल		**34233924=**

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर आबकारी कार्यालय ने उत्तर दिया कि सभी बकायेदारों से वसूली की कार्यवाही गतिमान है। इस प्रकार विगत वर्षो की अवशेष वसूली न किए जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग - II (ब)

प्रस्तर- 03 : अनुज्ञापियों की गतिविधियों पर नियंत्रण व्यवस्था न किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन आबकारी अनुभाग की अधिसूचना - 126/XXIII/2019/04(04)/2018 देहरादून दिनांक 07.02.2019 द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में देशी/विदेशी मदिरा एवं बीयर की फुटकर बिक्री को विनियमित करने की दृष्टि से वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2019 जारी की गयी थी। नियमावली के नियम 30 द्वारा राज्य में मदिरा के व्यवसाय पर प्रभावी नियंत्रण व पारदर्शिता के लिए सम्पूर्ण प्रणाली को Trace and Track नियम धारित किए जाने का प्रावधान किया गया था। इस प्रयोजनार्थ नियम 33 में प्रत्येक आसवनी, ब्रुवरी, बॉटलिंग प्लांट, विन्टनरी, थोक अनुज्ञापन (एफ एल 2) बॉन्ड अनुज्ञापन (बी0 डब्लू एफ एल 2) बार अनुज्ञापन तथा मदिरा की फुटकर दुकानों में IP address युक्त CCTV कैमरा लगाने की व्यवस्था की जानी अनिवार्य की गयी थी, जिससे संबन्धित अनुज्ञापन की समस्त गतिविधि पर आयुक्तलय स्थित कंट्रोल रूम से नियंत्रण रखा जा सके। साथ ही साथ नियम 36 में मदिरा परिवहन करने वाले समस्त वाहनो को GPS/GPRS प्रणाली से संयोजित करना अनिवार्य किया गया था।

जिला आबकारी अधिकारी, पौड़ी की लेखापरीक्षा में पाया गया कि गतिविधि नियंत्रण हेतु आसवनी, ब्रुवरी, बॉटलिंग प्लांट, विन्टनरी थोक अनुज्ञापन (एफ एल 2) बॉन्ड अनुज्ञापन (बी0 डब्लू एफ एल 2) बार अनुज्ञापियों द्वारा आवश्यक IP address युक्त CCTV कैमरा लगाने की व्यवस्था का कोई प्रमाण नहीं था न ही नियम 36 के अनुसार मदिरा परिवहन करने वाले समस्त वाहनो को GPS/GPRS प्रणाली से संयोजित किए जाने का कोई प्रमाण उपलब्ध था ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर जिला आबकारी अधिकारी ने उत्तर दिया कि फुटकर वं थोक अनुज्ञापनों में CCTV कैमरे लगाये गये है, GPS/GPRS प्रणाली वर्तमान तक लागू नहीं किया गया है। उच्चस्तर से निर्देश आदेश प्राप्त होने पर यथा कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। उत्तर मान्य नहीं है क्योकि CCTV कैमरे लगाये जाने से सम्बन्धित कोई प्रमाण लेखापरीक्षा को उपलब्ध नही कराया गया।

अत: प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या**	**भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या**	**STAN**
34/2000-01	1	-	-
13/2002-03	1	-	-
28/2005-06	1	-	-
134/2017-18	2	-	-
112/2018-19	-	3	-
136/19-20	-	1,2,3,4,5,6	1

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या : इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि सम्बंधित प्रकरणों की अनुपालन आख्या सीधे महालेखाकार कार्यालय को प्रस्तुत करा दी जायेगी।

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य - टिप्पणी शून्य**

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, पौडी** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:

   1. **सतत् अनियमितताएः**

2. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्री राजेन्द्र लाल	(जिला आबकारी अधिकारी)

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, पौडी** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (ए.एम.जी.-IV) को प्रेषित कर दी जाए।

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/ए.एम.जी.-IV